

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश
राज्य से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का सारांश

यह सारांश 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों राज्य के वित्त, राजस्व क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) तथा सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के महत्वपूर्ण विषयों की झलक प्रस्तुत करता है। इन प्रतिवेदनों में हिमाचल प्रदेश सरकार, सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम सम्मिलित हैं। अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, जो इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके निपटान हेतु सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों के साथ मामला उठाया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए बिंदुओं के साथ-साथ लेखाओं पर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्यपाल को भेजते हैं, जो उन्हें विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं।

विधानसभा को प्रस्तुत राज्य सरकार के लेन-देनों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को राज्य के वित्त, सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम), राजस्व क्षेत्र के संदर्भ में लोक लेखा समिति को तथा आर्थिक क्षेत्र प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के संदर्भ में लोक उपक्रम समिति को भेजा जाता है। सरकारी विभागों को सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा समीक्षाओं पर स्वयंमेव की गई कार्रवाई की टिप्पणियों, जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांच की गई हो, सम्बन्धित समिति को प्रस्तुत करना होता है। समिति कुछ परिच्छेदों/समीक्षाओं को विस्तृत जांच हेतु चयन करती है तथा उसके उपरान्त उन पर अपनी अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों से अन्तर्विष्ट प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों/समीक्षाओं के प्रारूप सदैव सम्बन्धित विभाग के प्रधान सचिव को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किए जाते हैं ताकि उन्हें राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर सरकार के विचार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप परिच्छेदों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और सम्बन्धित विभाग की टिप्पणियाँ लेखापरीक्षा को छः सप्ताह की अवधि के भीतर सूचित की जानी चाहिए। तथापि, अधिकांश मामलों में विभागों ने प्रारूप परिच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने में प्रावधान का पालन नहीं किया।

इस सारांश में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक महत्वपूर्ण मामलों का केवल सारांशित विवरण सम्मिलित है। यद्यपि हमारा यह प्रयास रहा है कि इस प्रलेख की विषयवस्तु जहां तक सम्भव हो, मूल प्रतिवेदनों जैसा हो तथापि तथ्यों तथा आंकड़ों की प्रमाणिकता हेतु मूल प्रतिवेदनों का संदर्भ लिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण हेतु सम्पर्क किए जाने वाले अधिकारियों के नाम और दूरभाष संख्या इस प्रकाशन के पिछले कवर के पार्श्व पृष्ठ पर दिए गए हैं।

विषय सूची

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पृष्ठ संख्या
1	राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन	1
2	राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन	5
3	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) पर प्रतिवेदन	10
4	सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर प्रतिवेदन	14



राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग-क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	10,346	12,711	14,543	15598	15711
(i) कर राजस्व	2,574(25)	3,643(29)	4,108 (28)	4,626 (30)	5,121 (33)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,487(58)	2,101(58)	2,477 (60)	2,728 (59)	3,141 (61)
राज्य आबकारी	500(19)	562(15)	707 (17)	810 (18)	952 (19)
वाहनों पर कर	134(5)	163(4)	176 (4)	196 (4)	208 (4)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	113(4)	133(4)	155 (4)	173 (4)	188 (4)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	39(2)	302(8)	185 (5)	262 (6)	191 (4)
भू-राजस्व	15(1)	5(0.1)	18 (11)	24 (-)	10 (-)
माल व यात्री कर	89(3)	93(3)	94 (2)	101 (2)	105 (2)
अन्य कर	197(8)	284(8)	296 (7)	332 (7)	326 (6)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,784(17)	1,695(13)	1,915 (13)	1,377 (9)	1,785 (11)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	862 (8)	1,715(13)	1999 (14)	2,282(14)	2,491 (16)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	5,126(50)	5,658(45)	6,521 (45)	7,313 (47)	6,314 (40)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	--	646	--	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसुलियाँ	34	73	25	21	17
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	10,380	13,430	14,568	15,619	15,728
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2,553	2,411	1,984	3,371	4,050
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	2,484 (97)	2,372 (98)	1,904 (96)	3,239 (96)	3,362
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	-	--	-	629
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	69(3)	39	80 (4)	132 (4)	59
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	12,933	15,841	16,552	18,990	19,778
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	--	--	--	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	6,821	8,507	9,237	9,146	10,300
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	19,754	24,348	25,789	28,136	30,078
भाग -ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	11,151	13,946	13,898	16,174	17,352
योजनागत	1,238(11)	1,652(12)	1,701 (12)	2,079 (13)	2,387 (14)
आयोजनरत	9,913 (89)	12,294(88)	12,197(88)	14,095(87)	14,965(86)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	4,377(39)	5,279(38)	5,690 (41)	6,618 (41)	7,047 (41)
सामाजिक सेवाएं	3,902(35)	4,979(35)	5,147 (37)	6,131 (38)	6,706 (39)
आर्थिक सेवाएं	2,868 (26)	3,682(26)	3,049 (22)	3,418 (21)	3,590 (20)
सहायता अनुदान व अंशदान	4 (--)	6(--)	12 (--)	7 (-)	9 (-)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
11. पूंजीगत व्यय	1,943	1,789	1,810	1,955	1,856
योजनागत	1,895(98)	1,774(99)	1,764 (97)	1,859 (95)	1,815 (98)
आयोजनेतर	48(2)	15(1)	46 (3)	96 (5)	41 (2)
सामान्य सेवाएं	63(3)	73(4)	73 (4)	74 (4)	81 (4)
सामाजिक सेवाएं	610(31)	611(34)	372 (21)	436 (22)	478 (26)
आर्थिक सेवाएं	1,270(65)	1,105(62)	1,365 (75)	1,445 (74)	1,297 (70)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	70	227	493	469	531
13. योग (10+11+12)	13,164	15,962	16,201	18,598	19,739
14. लोक ऋण की चुकौतियाँ	867	870	1,128	2,117	1,704
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	811	808	1,034	2,056	1,467
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	-	172
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	56	62	94	61	65
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	14,031	16,832	17,329	20,715	21,443
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	6,421	7,162	8,526	8,285	9,227
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	20,452	23,994	25,855	29,000	30,670
भाग-ग: घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 805	(-)1,235	(+) 645	(-) 576	(-) 1,641
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 2,784	(-)2,532	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011
22. प्रारंभिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-) 828	(-)582	(+) 497	(-) 609	(-) 1,530
भाग-घ: अन्य आंकड़े					
23. व्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,956	1,950	2,130	2,370	2,481
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	718	849	981	1,203	1,438
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिवस)	--	--	--	-	629
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	--	--	--	-	10
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष(दिवस)	--	--	--	-	01
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर व्याज	--	--	--	-	0.11
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (16.16)	48,189	57,452	64,957	73,710	82,585
	(16.16)	(19.22)	(13.06)	(12.88)	(12.04)
28. वकाया राजकोषीय दायित्व (चर्यान्त)	23,713	26,415	28,228	30,442	33,884

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	1,949	3,910	3,316	3,353	4,333
30. प्रत्याभूतिक अधिकतम राशि (वर्षान्त)	4,361	6,232	6,208	9,455	9,316
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	29	11	13	12	12
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	108	86	930	115	130
भाग-डू: राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.28	0.28	0.25	0.25	0.24
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.27	1.26	1.11	1.19	1.26
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.85	0.87	0.86	0.86	0.88
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.34	0.35	0.34	0.35	0.36
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.31	0.30	0.27	0.26	0.25
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.11	0.11	0.11	0.09
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.14	0.11	0.11	0.10	0.09
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.67	(-) 2.14	(+) 0.99	(-) 0.78	(-) 1.99
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 5.78	(-) 4.41	(-) 2.51	(-) 4.04	(-) 4.86
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.72	(-) 1.01	(+) 0.77	(-) 0.83	(-) 1.85
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-) 28.92	(-) 48.78	NA	19.34	40.90
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.022	0.011	0.041	0.023	0.009
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबन्धन					
राजकोषीय दायित्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.50	0.46	0.43	0.41	0.41
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	2.29	2.07	1.94	1.95	2.16
प्रमात्रा विस्तार के प्रति प्राथमिक घाटा	(-) 0.50	(-) 0.21	0.36	(-) 0.44	(-) 1.16
ऋण विमोचन (मूलधन+व्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	1.01	0.88	1.05	1.02	0.89
V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	73.49	64.11	85.65	100.09	103.42
चालू राजस्व से शेष (रैंकरोड)	(-) 2642	(-) 2607	(-) 1529	-3284	(-) 3544
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.67	0.66	0.70	0.70	0.68

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
राजस्व व्यय (₹करोड़)	11,151	13,946	13,898	16,174	17,352
वृद्धि दर (प्रतिशत) राजस्व व्यय	18.15	25.06	(-) 0.34	16.38	7.28
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹करोड़)	9,913	12,294	12,197	14,095	14,965
वृद्धि दर (प्रतिशत) आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	15.79	24.01	(-) 0.79	15.56	6.17
योजनागत राजस्व व्यय(₹करोड़)	1238	1652	1701	2079	2387
वृद्धि दर (प्रतिशत) योजनागत राजस्व व्यय	41.16	33.44	2.97	22.22	14.81
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.57	21.40	18.78	19.12	18.12
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	85.16	88.63	85.78	86.97	90.34
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	75.30	77.02	75.29	75.79	75.81
राजस्व प्राप्त के प्रतिशत के रूप में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	95.81	96.72	83.87	90.36	95.25
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	88.90	88.15	87.76	87.15	86.24
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	11.10	11.85	12.24	12.85	13.76
के साथ राजस्व व्यय की उल्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.123	1.48	(-) 0.015	1.26	0.60
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.63	1.09	(-) 0.02	2.26	10.11
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.15	1.04	(-) 0.43	1.05	1.18
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.44	0.75	(-) 0.12	0.74	0.49

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (राउण्डड) दर्शाते हैं ।

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध है।

इस प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों अर्थात् 'राज्य सरकार के वित्त', 'वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण' तथा 'वित्तीय सूचना में की गई है।

राज्य सरकार के वित्त

राज्य सरकार के वित्त लेखे उपयुक्त वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियों तथा व्यय दोनों से सम्बंधित लेन-देन का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। सरकारी लेखों के समस्त लेन-देन के सारांश के अतिरिक्त वित्त लेखों में (क) उधार स्थिति का सारांश, (ख) राज्य सरकार के ऋण तथा अग्रिम, (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां और (घ) बकाया का सारांश शामिल है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा उन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नवत् हैं:

वित्त लेखों का सारांश

(₹ करोड़)

प्रकारियाँ	2012-13	2013-14	संश्लेषण	2012-13	2013-14		कुल
	कुल	कुल		कुल	आयोजन	योगात	
प्रकार - क: राजस्व							
कर-राजस्व	4626	5,121	सामान्य सेवाएं	6618	7,005	41	7,046
कर-भिन्न राजस्व	1377	1,785	सामाजिक सेवाएं	6131	5,238	1,468	6,706
संघीय करों/शुल्कों का भाग	2282	2,491	आर्थिक सेवाएं	3418	2,713	878	3,591
भारत सरकार से अनुदान	7313	6,314	सहायता अनुदान तथा अंशदान	7	9	--	9
राजस्व प्राप्तियाँ	15598	15,711	राजस्व व्यय	16174	14,965	2,387	17,352
प्रकार - ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	--	--	पूंजीगत परिव्यय	1,955	42	1,815	1,856
ऋणों एवं अग्रिमों की बसुलियाँ	21	17	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	469	--	--	531
लोक ऋण प्राप्तियाँ	3,371	4,050 ¹	लोक ऋण की चुकीती	2,117	--	1,704	1,704
आकारमिक निधि	--	--	आकारमिक निधि	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्तियाँ	9,146	10,300	लोक लेखा संवितरण	8,285	--	--	9,227
अथ रोकड़ शेष	569	(-) 295	अंत रोकड़ शेष	(-) 295	--	--	(-) 887
योग	28,705	29,783	योग	28,705			29,783

¹ सही मूल्य ₹ 4050.70 करोड़।

राजकोषीय परिशुद्धि पथ

2011-12 के दौरान राजस्व घाटा जिसे शून्य तक ले जाना था तथा अनुरक्षित राजस्व अधिशेष तदोपरान्त प्राप्त नहीं किया जा सका। राजकोषीय मानदण्डों अर्थात राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे में प्रवृत्तियां 2012-13 में क्रमशः ₹ 576 करोड़, ₹ 2979 करोड़ तथा ₹ 609 करोड़ पर थी, 2013-14 में क्रमशः ₹ 1641 करोड़, ₹ 4011 करोड़ तथा ₹ 1530 करोड़ तक बढ़ गई।

(परिच्छेद 1.11)

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित निधियों का अवलोकन

2013-14 के दौरान भारत सरकार ने राज्य बजट के मार्ग से भेजने के बजाए विभिन्न राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 1,671 करोड़ सीधे ही हस्तांतरित किये। इन निधियों से व्यय की निगरानी के लिए राज्य में कोई एजेंसी नहीं हैं।

(परिच्छेद 1.2.2)

सरकारी निवेशों की समीक्षा

सरकार पर सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों तथा ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में निवेशों का औसतन प्रतिफल 3.11 प्रतिशत था जबकि 2009-14 के दौरान सरकार ने इन निवेशों पर 7.99 प्रतिशत के औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

(परिच्छेद 1.8.2)

अपूर्ण परियोजनाएं

दो विभागों की 12 परियोजनाएं जो जुलाई 2005 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य पूर्ण की जानी निर्धारित थी अभी भी अपूर्ण पड़ी थी (मार्च 2014)।

(परिच्छेद 1.8.1)

राजकोषीय देयताओं में वृद्धि

चालू वर्ष के अंत तक राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष से 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 33,884 करोड़ तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 41 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों की 216 प्रतिशत पर थी। कुल लोक ऋण में बाजारी ऋणों की हिस्सेदारी 2009-10 में 51.63 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 58.69 प्रतिशत हो गई। आगामी सात वर्षों पर बकाया बाजारी ऋणों की 10.07 प्रतिशत से अंतर्विष्ट परिपक्व राशि 2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान क्रमशः 15.10 प्रतिशत तथा 15.49 प्रतिशत के बकाया पर छूट के महत्वपूर्ण दबाव सहित है।

(परिच्छेद 1.9.2, 1.10.3.3 तथा 1.10.3.5)

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

विनियोजन अधिनियमों के साथ जुड़ी अनुसूचियों के निर्दिष्टानुसार विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना करते हुए विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक् रूप से सूचीबद्ध करते हैं और जो बजट की दोनों प्रभारित तथा दत्तमत मदों के सम्बंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। अतः, विनियोजन लेखे वित्त प्रबंधन तथा बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं और इस प्रकार वित्त लेखे के संपूरक हैं।

विनियोजन लेखा का सारांश

(₹ करोड़)

व्यय स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) / आधिक्य (+)
दत्तमत					
राजस्व	16,715.83	910.62	17,626.45	16,775.73	(-) 850.72
पूंजीगत	2,104.27	115.57	2,219.84	1,901.42	(-) 318.42
ऋण एवं अग्रिम	342.39	186.56	528.95	531.05	2.10
कुल दत्तमत	19,162.49	1,212.75	20,375.24	19,208.20	(-) 1,167.04
प्रभारित					
राजस्व	2,472.93	74.07	2,547.00	2,523.68	(-) 23.32
पूंजीगत	-	4.88	4.88	4.88	-
लोक ऋण-चुकाती	1,714.45	210.01	1,924.46	1,704.27	(-) 220.19
कुल प्रभारित	4,187.38	288.96	4,476.34	4,232.83	(-) 243.51
आकस्मिक निधि को विनियोजन (अगर कोई है)					
	--	--	--	--	--
सकल योग	23,349.87	1,501.71	24,851.58	23,441.03	(-) 1,410.55

बचत/आधिक्य

वर्ष 2013-14 के दौरान पंजीकृत की गई अनुदान/विनियोजन के अंतर्गत ₹ 1,410.55 करोड़ की समस्त बचत ₹ 474.86 करोड़ की बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित ₹ 1885.41 करोड़ के आधिक्य का निवल परिणाम था। 2009-13 वर्षों के ₹ 4581.03 करोड़ सहित 2013-14 के ₹ 474.86 करोड़ के अधिक व्यय का विधान सभा द्वारा नियमन अपेक्षित है।

(परिच्छेद 2.2 तथा 2.3.7)

पर्याप्त अभ्यर्पण

26 मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 1331.08 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पित) अभ्यर्पित किये गए थे।

(परिच्छेद 2.3.9 तथा 2.3.10)

बजट अनुदान के व्ययगत से बचने के लिए निधियों का आहरण तथा अनुपूरक प्रावधान

बजट अनुदान को व्ययगत होने से बचाने के लिए ₹ 13.59 करोड़ की राशि की निधियां आहरित की गईं तथा सामान्य जमाओं के अंतर्गत रखी गईं। 10 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) में प्राप्त किया गया समेकित ₹ 387.62 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि मूल प्रावधान इन मामलों में व्यय के अनुरूप पर्याप्त थे।

(परिच्छेद 2.3.6 तथा 2.3.8)

वित्तीय सूचना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमावलियों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति उपलब्ध करवाता है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

31 मार्च 2014 तक ₹1,627.59 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अनुदानों के सम्बंध में 17,027 उपयोक्ता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 3.1)

दुर्विनियोजन/हानि, गबन आदि के लम्बित मामले

राज्य सरकार ने दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के ₹ 80.67 लाख सरकारी धन राशि अर्न्तग्रस्त 49 मामलों को प्रतिवेदित किया जिन पर जून 2014 तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 42 मामले पांच वर्ष से पुराने थे।

(परिच्छेद 3.4)

लेखों का गलत वर्गीकरण

2013-14 के दौरान ₹ 2,493 करोड़ (15.87 प्रतिशत कुल राजस्व प्राप्तियों का) तथा ₹ 523.70 करोड़ (2.73 प्रतिशत कुल व्यय का) राशि की प्राप्तियां बहुप्रयोजन लघु-शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत राज्य लेखों में पृथक रूप से दर्शाते हुए वर्गीकृत की गईं।

(परिच्छेद 3.5)

राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिचय

इस प्रतिवेदन में कर के अवनिर्धारण, राज्य आबकारी शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, यात्री तथा माल कर और रॉयल्टी आदि के अनुदग्रहण/ अल्पोद्ग्रहण से सम्बंधित ₹72.17 करोड़ की वित्तीय प्रभावशीलता से अंतर्विष्ट 27 परिच्छेद तथा 'बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

सामान्य

वर्ष 2013-14 की सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की ₹15,598.14 करोड़ की तुलना में ₹15,711.08 करोड़ थी। इसमें से 44 प्रतिशत कर राजस्व (₹5,120.91 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹1,784.53 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 56 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों (₹2,491.53 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹6,314.11 करोड़) के राज्यांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया।

(परिच्छेद 1.1.1)

वर्ष 2013-14 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियां तथा खान एवं भू-गर्भ विज्ञान कार्यालयों की 185 इकाइयों के अभिलेखों की परिचालित की गई नमूना-जांच से 754 मामलों में कुल ₹212.21 करोड़ का राजस्व का अवनिर्धारण/ अल्पोद्ग्रहण/ हानि उदघाटित हुई। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 620 मामलों में ₹27.98 करोड़ से अंतर्ग्रस्त अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में उजागर की गई थी। विभागों ने 2013-14 के दौरान विगत वर्षों की लेखापरीक्षा परिणामों से सम्बंधित 447 मामलों में ₹9.32 करोड़ का संग्रहण किया।

(परिच्छेद 1.10)

लेखापरीक्षा परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग

बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया पर निष्पादन लेखापरीक्षा

बकाया की प्रवृत्ति/समीक्षा अप्रैल 2008 से मार्च 2013 की अवधि में लम्बित बकाया धीमी वसूली प्रक्रिया के कारण ₹ 113.29 करोड़ से बढ़कर ₹ 235.33 करोड़ (52 प्रतिशत) हो गए।

(परिच्छेद 2.3.5)

बकाया का अल्प लेखाकरण

₹ 10.98 करोड़ की अतिरिक्त मांग को बकाया में लेखाकरण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप विभागीय बहियों में बकायों का अल्प लेखाकरण हुआ।

आगे, प्रत्यर्पित किए गए मामलों के गैर-निर्धारण के कारण ₹ 12.92 करोड़ की राशि के बकाया का घटाव उचित नहीं था।

(परिच्छेद 2.3.6.1)

अतिरिक्त मांग के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

104 मामलों में कर की अतिरिक्त मांग के विलम्बित भुगतान पर ₹ 38.33 लाख की राशि के ब्याज की न तो निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मांग की गई, न ही चूककर्त्ताओं द्वारा भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 2.3.11)

बकायों की वसूली हेतु उपलब्ध उपायों का उपयोग न करना

प्रतिभूति की गैर-प्राप्ति/जब्त की और जमानत की अनुचित स्वीकृति/डीलरों से जमानत की गैर-वसूली के सम्बंध में बकायों की वसूली हेतु उपलब्ध उपायों का उपयोग न करने के कारण ₹ 130.85 करोड़ के बकाया की वसूली नहीं की जा सकी थी।

(परिच्छेद 2.3.14.1 से 2.3.14.3)

लेन-देन लेखापरीक्षा के परिणाम

बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर

कुल बिक्री का गलत निर्धारण

सकल कुल बिक्री अथवा कर योग्य कुल बिक्री कुल प्रमाणित प्राप्तियों की तुलना में निम्नतर की ओर निर्धारित की गई थी तथा माल/ किराया प्रभार विवरणियों में सम्मिलित नहीं किये गए थे जिसके परिणामस्वरूप 13 मामलों में ₹4.43 करोड़ के कर के अल्पोद्ग्रहण के अतिरिक्त ₹3.92 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.4.1 तथा 2.4.2)

कर की गलत दर लागू करना

12.50 प्रतिशत / 13.75 प्रतिशत की लागू दर के बजाए चार/पांच प्रतिशत की निम्नतर दर पर किये गए बिक्री के कर निर्धारण के परिणामस्वरूप 11 मामलों में ₹7.00 करोड़ के कर की अल्प उगाही के अतिरिक्त ₹4.96 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.5)

मजदूरी प्रभारों/सामग्री की
लागत की गलत स्वीकृति

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा श्रम/सामग्री प्रभारों के आधार पर सकल कुल बिक्री से ₹18.22 करोड़ की अधिक कटौती के परिणामस्वरूप 11 मामलों में ₹2.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.6)

कर की रियायती दर की
गलत स्वीकृति

₹108.02 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत के कर की रियायती दर का लाभ औद्योगिक रूप से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सात औद्योगिक इकाइयों को दिया गया था जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी इकाइयों में हिमाचल के मूल निवासियों को 70 तथा 80 प्रतिशत अनिवार्य रोजगार नहीं दिये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ के कर के अवनिर्धारण के अतिरिक्त ₹1.20 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.7)

अवैध, डुप्लीकेट तथा
त्रुटिपूर्ण 'सी' तथा 'एफ'
फार्मों की स्वीकृति के
कारण कर का अपवंचन

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/डुप्लीकेट सांविधिक प्रपत्र 'सी' तथा 'एफ' की स्वीकृति तथा कर की छूट/रियायती दर की अनुमति के परिणामस्वरूप 10 मामलों में ₹44.30 लाख के कर के अल्पोद्ग्रहण के अतिरिक्त ₹41.16 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.8.1 तथा 2.8.2)

निवेश कर क्रेडिट की
अनियमित स्वीकृति

विभिन्न पद्धतियों को लागू करते हुए अंत स्टॉक पर कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹1.56 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट की गलत अनुमति से 50 मामलों में ₹1.57 करोड़ की राशि की कर दायिता आस्थगित हुई थी, इसके अतिरिक्त ₹98.06 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.9.1)

राज्य आबकारी

न्यूनतम गारंटीड कोटा के
कम उठाने पर अतिरिक्त
फीस का अनुद्ग्रहण

शराब के 4,92,292.40 प्रूफ लीटर न उठाए जाने के कारण 237 मामलों में 2011-12 के दौरान भुगतान योग्य अतिरिक्त फीस की कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मांग नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹98.46 लाख की राशि के आबकारी शुल्क की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.3)

आसवनी/बंधक माल
गोदामों पर तैनात
आबकारी प्रशासन के वेतन
की अवसूली

दो आसवनियों तथा चार मद्यनिर्माणशालाओं में तैनात
आबकारी स्थापना स्टाफ की ₹38.77 लाख के वेतन के
आधार पर 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए
लाइसेंसधारियों से देयताएं वसूल नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.9)

राजस्व विभाग

स्टाम्प शुल्क

पटवारियों द्वारा मूल्यांकन
प्रतिवेदन गलत तैयार किया
जाना और सम्पत्तियों के
बाजार मूल्य का गलत
निर्धारण

पटवारियों द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदनों को गलत तैयार करने
के कारण ₹2.77 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण
फीस की अल्प वसूली तथा 321 मामलों में सम्पत्ति के
बाजार मूल्य का गलत निर्धारण हुआ था।

(परिच्छेद 4.3.1 तथा 4.3.2)

आसन्न महाल की कम दरों
पर प्रलेख का पंजीकरण

पंजीकरण प्रलेखों में आसन्न महाल की निम्नतर दरों के
लागू किये जाने के कारण आठ मामलों में ₹2.16 करोड़
के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प उगाही हुई।

(परिच्छेद 4.4.1 तथा 4.4.2)

परिवहन विभाग

वाहन, माल एवं यात्री कर

अन्य राज्यों के स्टेज
कैरिजों से विशेष पथ कर
का गलत निर्धारण

अन्य राज्यों, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी स्टेज
कैरिजों के स्टेज कैरिज मालिकों के सम्बंध में गलत दर
तथा मील-दूरी लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 226
मामलों में शास्ति से अंतर्विष्ट ₹11.67 करोड़ के विशेष
पथ कर का अल्प निर्धारण/उगाही हुई।

(परिच्छेद 5.3.3 तथा 5.3.4)

विशेष पथकर में गलत छूट

जारी परमितों की संख्या तथा सड़क पर चल रही स्टेज
कैरिजों की संख्या के अभिलेखों का उचित अनुरक्षण किए
बिना विशेष पथ कर (न्यून शास्ति से अंतर्विष्ट) की छूट
दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप 10 मामलों में ₹0.25
करोड़ की न्यून शास्ति से अंतर्विष्ट ₹1.27 करोड़ के
विशेष पथ कर का निर्धारण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 5.3.6)

करों की अवसूली

2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए ₹2.67 करोड़ का सांकेतिक कर तथा प्रवेश कर 4,207 वाहन मालिकों द्वारा न तो अदा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांगा गया।

(परिच्छेद 5.4.1 तथा 5.4.2)

आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास माल एवं यात्री वाहनों का गैर-पंजीकरण

मोटर वाहन कर विभाग के पास पंजीकृत होने के पश्चात आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए 3,581 वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप सम्बंधित पंजीकरण लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वय की कमी के कारण ₹2.29 करोड़ की राशि के यात्री तथा माल कर की उगाही नहीं की गयी थी।

(परिच्छेद 5.6)

अन्य कर तथा गैर-कर प्राप्तियां

राजस्व की अल्प वसूली

परियोजना के संरक्षण क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न प्रजातियों के 14,185 पेड़ों की लागत के प्रभारित न किये जाने/अल्प प्रभारित किये जाने के कारण पांच वन मण्डलों में मूल्य वर्धित कर से अंतर्विष्ट ₹33.94 लाख के राजस्व की अवसूली/अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 6.4)

रायल्टी, निष्क्रिय किराया, न्यूनतम किराया तथा ब्याज की अवसूली

136 मामलों में खनिजों के निष्कर्षण के अवनिर्धारण, रायल्टी, निष्क्रिय किराया, न्यूनतम किराया की गलत दर लागू करने तथा ब्याज के अनुद्ग्रहण के कारण ₹ 55.73 लाख के सरकारी राजस्व की अवसूली/अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 6.7.1 से 6.7.4)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आर्थिक क्षेत्र) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में नियमों/विनियमों और संविदा अनुबंधों की शर्तों तथा निबंधनों की गैर-अनुपालना के कारण अवसूली/अल्पवसूली, निश्चित मांग प्रभारों का अनुदग्रहण/अल्पोदग्रहण, परियोजनाओं की प्रगति के अपर्याप्त/कमी से युक्त अनुश्रवण आदि से सम्बंधित ₹ 434.81 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 10 परिच्छेद और 'सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना' (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा निष्पादित) पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में

हिमाचल प्रदेश राज्य में 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (17 कम्पनियां और दो साविधिक निगम) और दो अक्रियाशील कम्पनियां थी जिनमें 34,992 कर्मचारी कार्यरत थे। 31 मार्च 2014 को 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (पूंजी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 8,909.84 करोड़ था। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश में 99.12 प्रतिशत क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था और शेष 0.88 प्रतिशत अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। कुल निवेश में 33.56 प्रतिशत पूंजी रूप में और 66.44 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था। इक्विटी 2009-10 में ₹ 1,948.65 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 2,990.47 करोड़ हो गई। 2013-14 में कुल निवेश में विद्युत क्षेत्र का योगदान 85.87 प्रतिशत से ऊपर था। सरकार ने 2013-14 के दौरान इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/इमदादों के प्रति ₹ 728.81 करोड़ का अंशदान किया था।

(परिच्छेद 1.1, 1.2 तथा 1.7 से 1.10)

विद्युत क्षेत्र में सुधार

वित्तीय पुनर्संरचना योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत राज्य सरकार ने ऋणों की पुनर्संरचना के लिए संदर्भ तिथि 31.03.2012 के विपरीत 31.07.2013 ली है। ₹ 1,398.35 करोड़ (31.03.2012 को संचित हानियां) के प्रति कम्पनी ने राज्य सरकार से वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अंतर्गत ₹ 1,462.50 करोड़ की राशि अनुमोदित करवाई थी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अग्रिम उपदान के भुगतान, नियमित चूककर्ताओं के भवनों में प्रीपेड मीटरों के अधिष्ठापन और कम्पनी अधिनियम, 1956 के

प्रावधानों के साथ लेखा को तैयार करने (वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए लेखा को तैयार किया जाना बाकी था) से सम्बंधित विद्युत पुनर्संरचना योजना की प्रमुख आवश्यक शर्तों की अनुपालना नहीं की गई है (नवंबर 2014)।

(परिच्छेद 1.14)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से जिनके लिए लेखा सितंबर 2014 तक प्राप्त हो गए थे, नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 23.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया और छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 646.70 करोड़ की हानि हुई। तीन क्रियाशील सरकारी कम्पनियों ने अपने लाभ तथा हानि लेखा तैयार नहीं किए थे जबकि एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मामले में आय पर व्यय आधिक्य राज्य सरकार द्वारा पुनर्प्राप्ति योग्य था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की लाभांश नीति के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य सरकार द्वारा अंशदान किए गए प्रदत्त पूंजीगत शेयर पर पांच प्रतिशत की न्यूनतम रिटर्न का भुगतान अपेक्षित है। ₹ 23.62 करोड़ का कुल लाभ अर्जित करने वाले नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से मात्र हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित ने ₹ 1.54 करोड़ का लाभांश घोषित किया था जो कि इसके प्रदत्त पूंजीगत शेयर का 10 प्रतिशत था।

(परिच्छेद 1.16 तथा 1.18)

लेखा को अंतिम रूप दिये जाने में बकाया

सितंबर 2014 तक पंद्रह क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास 23 लेखा बकाया था। लेखा और उसके तदनंतर लेखापरीक्षा न होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या निवेशों तथा किए गए व्यय की गणना उचित प्रकार से की गई है और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, वो प्राप्त हुआ या नहीं। अतः, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश राज्य विधानसभा की संवीक्षा से बाहर रहा।

(परिच्छेद 1.19 से 1.23)

सरकारी कम्पनी से सम्बंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा निष्पादित की जा रही 'सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना' पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

समय तथा लागत आधिक्य प्रारम्भ में प्राकलित ₹558.53 करोड़ की लागत वाली परियोजना अब ₹5.03 करोड़ से ₹10.50 करोड़ प्रति मेगा वाट तथा ₹2.34 से ₹6.95 प्रति यूनिट लागत की अनुवर्ती वृद्धि सहित ₹606.57 करोड़ की अधिक लागत से अंतर्ग्रस्त जुलाई 2017 तक ₹1,165.10 करोड़ की लागत से पूर्ण की जानी प्रत्याशित है। औसतन ₹3.43 प्रति यूनिट की विक्रय दर की तुलना में प्रत्याशित उत्पादन लागत बहुत अधिक होगी तथा इस दृष्टि से परियोजना आरम्भ होने पर वाणिज्यिक रूप से अव्यवहारिक बन जाएगी।

(परिच्छेद 2.1 तथा 2.7)

अनुदान पर ब्याज प्रभार

भारत सरकार ने ₹491.16 करोड़ के बराबर निधियों का हस्तांतरण किया जो इस परियोजना हेतु राज्य सरकार को एशियन विकास बैंक से 90:10 के अनुपात में अनुदान एवं ऋण के रूप में प्राप्त हुई जिसे राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर लगने वाले ऋण में परिवर्तित कर दिया गया था। अनुदान को ऋण में परिवर्तित करने से परियोजना लागत पर ₹126.04 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा।

(परिच्छेद 2.6.2)

प्रारूप में परिवर्तन

अपवर्तन बांध के परिरूप परिवर्तन से परियोजना की समग्र लागत पर ₹100.73 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

(परिच्छेद 2.7.2(ii))

परिसमापन क्षतियों की गैर-वसूली/उगाही

कम्पनी ने ठेका निरस्त करने से पूर्व कार्यों की पूर्णता में विलम्बार्थ ठेकेदार से अनुबन्ध के आधार पर ₹11.59 करोड़ राशि की परिसमापन क्षतियों की वसूली नहीं की।

(परिच्छेद 2.8.2 (iv) (क))

जल विद्युत परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब

कम्पनी द्वारा हैड रेस टनल के कार्य के निरसन में विलम्ब के कारण अपवर्तन बांध, अंतर्ग्रहण संरचना तथा अवरोही व्यवस्थाओं एवं विद्युत गृह पैकेजों की दोष देयता अर्वाधि के लाभ की अप्राप्ति के अतिरिक्त जल विद्युत परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 2.8.2 (v))

विद्युत यांत्रिकी निर्माण कार्य प्रदान

बोली दस्तावेजों में आपूर्ति की प्रत्येक खेप पर 20 प्रतिशत की मूल्य भिन्नता को प्रतिबंधित न करने के परिणामस्वरूप ₹8.79 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2.9.1)

लेन-देन की लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन में शामिल लेन-देन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार कम्पनियों के प्रबंधन में कमियां उजागर करती हैं, जिसके गम्भीर वित्तीय निहितार्थ थे। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार निम्नवत् दिया गया है:

राज्य उपदान स्कीम के अंतर्गत खाद्य मदों की खरीद तथा वितरण

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ने राज्य सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के प्रति खुदरा दुकानों/डिपो को खाद्य मदों की कम प्रमात्रा वितरित की। ₹ 14.48 करोड़ मूल्य की खाद्य मदों (अप्रैल 2011 से मार्च 2014) के नमूने जांच में खराब पाए गए तथा प्रतिवेदन तीन से चार महीनों के विलम्ब से प्राप्त हुए। कम्पनी द्वारा दावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के साथ राज्य सरकार द्वारा भुगतान जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से मार्च 2014 के दौरान कम्पनी को ₹ 8.80 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

(परिच्छेद 3.1)

निश्चित मांग प्रभागों की गैर-वसूली के कारण हानि

विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 के प्रावधानों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.90 करोड़ के निश्चित मांग प्रभागों की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.3)

ब्याज का परिहार्य भुगतान

माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथा अनुमत निर्धारित समय के भीतर अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन मान बकाया के भुगतान जारी करने में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 37.51 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.8)

भू-क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित ने सड़क की निर्माण सीमा के बाहर सीमांकित भूमि के सम्बंध में भू-क्षतिपूर्ति के भुगतान को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप भू-मालिकों को ₹ 29.33 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.10)

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है। प्रतिवेदन का अध्याय-1 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन, लेखापरीक्षा के प्रति विभागों की प्रतिक्रियाओं, आदि को आच्छादित करता है। अन्य दो अध्याय ₹ 2049.77 करोड़ से अन्तर्ग्रस्त सर्वशिक्षा अभियान, उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा नगर निगम शिमला की कार्य प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षाओं के परिणामों तथा 23 परिच्छेद जो अधिक/निष्फल/परिहार्य/ अनुत्पादक व्यय, संविदाकारों को अनुचित लाभ, निधियों का अवरोधन, निरर्थक निवेश, निधियों का अपवर्तन, आदि से सम्बंधित हैं, से सरोकार रखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

निष्पादन लेखापरीक्षा

शिक्षा विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2000-01 में प्रतिष्ठापित सर्व शिक्षा अभियान एक विस्तृत एवं एकीकृत प्रमुख कार्यक्रम है। कार्यक्रम का लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा “बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009” के नाम से एक अधिनियम अधिनियमित किया गया था जो अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।

सर्वशिक्षा अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा योजना की प्रभावशीलता, निधियों की आवश्यकता, शैक्षणिक मानकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रभावशाली कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कुशलता का निर्धारण करने के उद्देश्य के साथ संचालित की गई थी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

बस्ती /जिला स्तरीय योजनाओं को बनाया जाना जिला स्तरीय वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के लिए समुदाय एवं मूल स्तर के कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 2.1.7.1)

स्कूलों का उनके अपने भवनों के बिना चलना राज्य में 454 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों (ग्रामीण क्षेत्र: 429 तथा शहरी क्षेत्र: 25) के पास अपने स्वयं के भवन नहीं थे।

(परिच्छेद 2.1.10.2)

अपूर्ण सिविल निर्माण कार्य 2012-13 तक संस्वीकृत ₹ 467.52 करोड़ की लागत के 78950 सिविल कार्यों में से ₹ 44.48 करोड़ मूल्य के 5696 कार्य जून 2014 तक अपूर्ण रहे थे। संस्वीकृत राशि, किया गया व्यय, पूर्णता की तिथि इत्यादि के कार्यवार विवरण अनुरक्षित नहीं किये गये थे।

(परिच्छेद 2.1.11.1)

अध्यापकों की उपलब्धता 2009-14 के दौरान 877 तथा 1252 के मध्य के प्राथमिक विद्यालयों में दो अध्यापकों की न्यूनतम आवश्यकता के प्रति मात्र एक अध्यापक था। इसी तरह से उपरोक्त अवधि के दौरान 50 तथा 113 के मध्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम तीन अध्यापकों के मानकों के प्रति एक अध्यापक था।

(परिच्छेद 2.1.12)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन तथा अनुपालना अगस्त 2014 तक बाल शिकायत निवारण तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकरण को नामित/गठित नहीं किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए प्रशासनिक तंत्र भी अगस्त 2014 तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 2.1.17)

उद्योग विभाग

उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली

राज्य उद्योग विभाग राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की सतत प्रयुक्ति, मानव कौशल के विकास, उद्योगों में नए निवेश को प्रोत्साहन, नए रोजगार के अवसरों का सृजन, औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं का विकास, आदि, के माध्यम से उद्योगों के विकास के उत्थान के लिए उत्तरदायी है।

उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा स्कीमों के उद्देश्यों की प्राप्ति के सम्बंध में योजना तथा कार्यक्रम प्रबंधन की प्रभावशीलता, आवंटित प्राथमिकताओं के संदर्भ में वित्तीय प्रशासन की कुशलता, स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता तथा आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विद्यमानता के निर्धारण के उद्देश्य के साथ की गई थी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

औद्योगिक सर्वेक्षण का गैर-संचालन विभाग ने मानव संसाधनों, कच्चेमाल, विपणन स्थलों, आदि की उपलब्धता से अंतर्विष्ट औद्योगिक सामर्थ्य के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण संचालित नहीं किया था।

(परिच्छेद 2.2.6.1)

विशिष्ट पैकेजों/प्रोत्साहनों के अंतर्गत लाभों का मापन

कुल बिक्री, निर्गम मूल्य, लाभ प्रदत्ता, रोजगार सृजन की गुणवत्ता एवं सीमा, आदि, यह देखने के लिये कि क्या ये सार्वजनिक राजकोष पर कर रियायतों तथा इमदादों के भार के अनुरूप थे, के अनुश्रवण हेतु कोई तंत्र विद्यमान नहीं था।

(परिच्छेद 2.2.6.2 तथा 2.2.6.3)

राजस्व प्राप्तियों का अनियमित अपवर्तन/उपयोग

पट्टा धन की ₹ 40.53 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां सरकारी खाते में इन्हें जमा करने के बजाए औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बद्दी की निकाय निधि को अनियमित रूप से अपवर्तित की गई थी तथा ₹ 14.03 करोड़ विभागीय व्यय के प्रति अनियमित रूप से प्रयोग किये गए थे।

(परिच्छेद 2.2.7.5)

अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों का निष्पादन

औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक सम्पदाओं के अवसंरचनात्मक विकास से सम्बंधित 151 निर्माण कार्य संचालन/पूर्ण न होने के कारण ₹ 62.46 करोड़ निष्पादन अभिकरणों के पास 12 से 60 महीनों तक अवरोधित पड़े रहे।

(परिच्छेद 2.2.8.6 तथा 2.2.9.2 (iii))

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तथा इनलैंड कन्टैनर डिपो की स्थापना

औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लॉटों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रयुक्त न होने से ₹ 21.02 करोड़ का किया गया व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।

(परिच्छेद 2.2.8.2 तथा 2.2.9.2 (i))

आंतरिक नियंत्रण तंत्र

विभाग की विभिन्न स्कीमों तथा गतिविधियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए निर्धारित आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था।

(परिच्छेद 2.2.13)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य जल के बहुल स्रोतों की प्रयुक्ति, तंत्र संपोषण की सुनिश्चितता, सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से जल गुणवत्ता कार्यक्रम का संस्थानीकरण, जनसाधारण में जागरूकता सृजन, श्रम शक्ति प्रशिक्षण तथा ऑनलाईन प्रबंधन सूचना तंत्र के माध्यम से कार्यान्वयन में पारदर्शिता की सुनिश्चितता द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के उद्देश्य से संचालित की गई थी कि क्या योजना प्रक्रिया कुशल तथा प्रभावी थी, वित्तीय प्रबंधन कुशल था, स्कीम प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित की गई थी, बस्तियों में सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाया गया था और आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

विस्तृत योजनाएं बनाना	गांव तथा जिला जल सुरक्षा योजनाओं से विस्तृत जल सुरक्षा योजनायें जिनमें जन सांख्यिकी, भौतिक विशेषताएं, जल स्रोत, उपलब्ध पेयजल अवसंरचना, आदि सम्मिलित हैं, नहीं बनाई गई। (परिच्छेद 2.3.6.1)
वित्तीय निष्पादन	2009-14 के दौरान ₹ 11.50 करोड़ से लेकर ₹ 82.17 करोड़ के मध्य भारत सरकार की निधियों की अप्रयुक्ति व अपवर्तन के कारण भारत सरकार से अनुमोदित आवंटनों के प्रति ₹ 87.42 करोड़ कम जारी हुए। (परिच्छेद 2.3.8.2 तथा 2.3.8.4)
प्रोत्साहन प्राप्त न करना	2009-14 के दौरान ग्राम पंचायतों/ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों को जलापूर्ति स्कीमों के परिचालन व अनुरक्षण कार्यों के अंतरण न करने से राज्य, भारत सरकार के ₹ 59.27 करोड़ के प्रोत्साहन से वंचित रहा। (परिच्छेद 2.3.8.7)
बस्तियों का आच्छादन	राज्य में वर्ष 2012 तक सभी ग्रामीण बस्तियों को पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करने का लक्ष्य मार्च 2014 तक प्राप्त नहीं किया गया था। (परिच्छेद 2.3.9.1)
स्कीमों का निष्पादन	अगस्त 2014 तक 2009-14 के दौरान पूर्ण किए जाने को अनुबंधित 509 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों में से ₹ 88.46 करोड़ खर्च करने पर भी 197 स्कीमों अपूर्ण पड़ी थी। (परिच्छेद 2.3.9.2)
जल गुणवत्ता	2009-14 के दौरान 48 जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के लक्ष्य के प्रति केवल 14 प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं तथा रासायनिक व जीवाण्विक प्रदूषण जांच की अपेक्षित 21.02 लाख संख्या के प्रति केवल 1.66 लाख परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया जिसके प्रति 0.72 लाख परीक्षण किए गए। (परिच्छेद 2.3.11.1 तथा 2.3.11.2)

आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक नियंत्रण तंत्र दुर्बल था। 2009-14 के दौरान स्कीमों के आवधिक प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए अनुश्रवण व छानबीन यूनिट तथा समूह आधारित संगठनों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा स्थापित नहीं किए गए।

(परिच्छेद 2.3.12.2 तथा 2.3.12.3)

शहरी विकास विभाग

नगर निगम, शिमला की कार्यप्रणाली

जलापूर्ति, सड़के, मलव्यवस्था प्रणाली, टोस कचरे का एकत्रीकरण व निपटान, नालियों की सफाई, पार्किंग भू-भाग, गली की लाईटें, आदि जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं मुहैया करवाना नगर निगम, शिमला का उत्तरदायित्व है। यह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सिटी भी है।

नगर निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के उद्देश्य के साथ संचालित की गई थी कि क्या विविध स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के सम्बंध में प्रभावशाली योजना तथा कार्यक्रम प्रबंधन विद्यमान था, नगर निगम में आवंटित प्राथमिकताओं के संदर्भ में प्रभावशाली वित्तीय प्रशासन विद्यमान था तथा संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग हुआ था, जलापूर्ति, सीवर/टोस कचरा का निपटान, प्राप्तियों का संग्रहण, भवनों के निर्माण की जांच, आदि प्रभावशाली रूप से निष्पादित की जा रही थी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

विस्तृत योजनाएं बनाना

योजना बनाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निगम ने वार्ड सभाएं तथा वार्ड समितियां गठित नहीं की थी। 2009-14 के दौरान वार्षिक कार्य योजनाएं एवं विकास योजनाएं भी नहीं बनाई गई थी।

(परिच्छेद 2.4.6.2 तथा 2.4.6.3)

वित्तीय निष्पादन

2009-14 के दौरान ₹ 271.38 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों के प्रति नगर निगम ने ₹ 242.53 करोड़ का व्यय किया परिणामतः ₹ 28.85 करोड़ की बचतें हुईं।

(परिच्छेद 2.4.7.1)

बकाया दायित्व

नगर निगम द्वारा वितरित पानी की लागत व वसूली प्रभागों के मध्य ₹ 55.24 करोड़ का अन्तर था और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूरित पानी के सम्बन्ध में ₹ 161.74 करोड़ के दायित्व बकाया थे। मार्च 2014 तक किराया, उपकर तथा भूमि, भवन, मोबाईल टावर व पार्किंग भू-भाग पर कर के सम्बन्ध में ₹ 8.84 करोड़ का बकाया वसूली हेतु देय था।

(परिच्छेद 2.4.9.2, 2.4.14.1, 2.4.14.3 तथा 2.4.14.5)

सीवर प्रणाली

छ: मल अभिक्रिया संयंत्रों (35.63 मिलियन लीटर प्रतिदिन अधिष्ठापन क्षमता)को लगाने हेतु ₹ 74 करोड़ खर्च करने के बावजूद वास्तविक प्रयुक्ति 4.8 मिलियन लीटर प्रतिदिन (13 प्रतिशत) थी, परिणामतः बिना अभिक्रिया मलजल, बिना निकासी रहा तथा खुले में छोड़ दिया गया।

(परिच्छेद 2.4.10.1)

अनधिकृत निर्माण

अनधिकृत निर्माण को रोकने तथा पता लगाने का तंत्र अपर्याप्त था। यहां तक कि पता लगाए गए मामलों में (73 प्रतिशत लम्बित) नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 2.4.14.2)

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन के अंतर्गत ₹ 24 करोड़ हेतु स्वीकृत 636 निवास यूनिटों में से केवल 40 यूनिट पूर्ण किए गए, 136 प्रगतिरत थे और शेष 460 यूनिटों के कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण आरम्भ नहीं किए गए थे।

(परिच्छेद 2.4.17.1)

आंतरिक नियंत्रण तंत्र

जुलाई 2014 तक हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अनुसार परियोजनाओं/स्कीमों, आदि के अनुश्रवण एवं निरीक्षणार्थ आवधिक तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 2.4.18.1)

अनुपालना लेखापरीक्षा

वन विभाग

वन प्रबंधन की गहनता स्कीम का कार्यान्वयन

2011-14 के दौरान ₹ 1.74 करोड़ की गैर-प्रयुक्ति और ₹ 1.02 करोड़ के उपयोगिताप्रमाण पत्रों की गैर-प्रस्तुती के कारण राज्य ₹ 3.27 करोड़ की केन्द्रीय निधियों से वंचित रहा। उपरोक्त अवधि के दौरान आगजनी नियंत्रण गतिविधियों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 10 से 33 प्रतिशत के मध्य थी। फरवरी 2011 से नवम्बर 2012 के मध्य निष्पादन हेतु आरम्भ किया गया तीन भवनों का निर्माण (संस्वीकृत लागत ₹ 0.43 करोड़) ₹ 0.36 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण था।

(परिच्छेद 3.3)

उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग

छात्रावासों तथा आवासीय निवास के निर्माण पर निष्फल व्यय

आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना अनुचित स्थानों पर छात्रावासों तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के परिणामस्वरूप उनका कम/गैर-उपयोग हुआ और ₹ 1.72 करोड़ का व्यय बड़े पैमाने पर निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.7)

आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग

अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम को अतिरिक्त भुगतान और सरकारी लेखों से बाहर रखी निधियों पर ब्याज हानि

अस्पताल के निर्माण पर वास्तविक व्यय को जांचे बिना परामर्शदात्री अभिकरण को निधियां जारी करने से विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.56 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ और वित्तीय नियमावली के गैर-अनुपालन से ₹51.60 लाख की ब्याज हानि के अतिरिक्त ₹ एक करोड़ सरकारी लेखा से बाहर रहे।

(परिच्छेद 3.11)

योजना विभाग

पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना का कार्यान्वयन

स्कीम के दिशा निर्देशों के विपरीत 2010-14 के दौरान शिमला तथा सिरमौर जिलों के उपायुक्तों द्वारा कोषागार से वास्तविक आवश्यकताओं के अग्रिम रूप में ₹ 0.24 करोड़ से ₹ 1.23 करोड़ के मध्य निधियां आहरित कर बैंकों में रखी गई थी। 2011-14 के दौरान पूर्व तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किए बिना सड़क तथा पुल क्षेत्र के अंतर्गत ₹10.31 करोड़ के लिए 592 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए थे। 11 निष्पादन अभिकरणों द्वारा जुलाई 2014 तक ₹ 3.95 करोड़ के लिए संस्वीकृत (2008-14) 168 निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे जिसमें चार से 72 महीनों का विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 3.12)

लोक निर्माण विभाग

फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ

विभाग द्वारा संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में असफलता से फर्म को ₹ 8.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त ₹ 12.66 करोड़ का व्यय अधिकांशतः निष्फल सिद्ध हुआ।

(परिच्छेद 3.13)

सड़क तथा पुल के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय

सड़क तथा पुल निर्माण कार्य की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.18)

जनजातीय विकास विभाग

जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत स्कीमों का निष्पादन

दो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों द्वारा 2011-14 के दौरान बिना पूर्व तकनीकी संस्वीकृतियां प्राप्त किये ₹13.35 करोड़ के लिए 552 कार्य संस्वीकृत किये गए थे। स्कीम के दिशा-निर्देशों के विपरीत उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 2.15 करोड़ के 124 अस्वीकार्य कार्य भी संस्वीकृत किये गए थे। पुल के निर्माण कार्य के पूर्ण न होने के कारण तीन पुलों तथा दो सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर ₹ 10.21 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.21)

महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

बालिका कल्याण एवं संरक्षण के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन

2011-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना एवं किशोरी छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम के अंतर्गत पहचान की गई 40 से 49 प्रतिशत बालिकाएं (11-18 वर्ष आयु की) आवृत्त नहीं की गईं। बेटी है अनमोल योजना में पहचान किए गए 98,776 लाभार्थियों में से 77,213 आवृत्त किए गए थे अतः उपरोक्त अवधि के दौरान 21,563 अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना स्कीम के अंतर्गत निर्मित बालिका आश्रमों में स्टाफ की कमी तथा मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी थी।

(परिच्छेद 3.23)

